अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/**SECRETARIAT**

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक मार्च, 2020

अधिसूचना

सं............/फा.सं........................... भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के साथ पठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिनांक 21 फरवरी 1985 के अधिसूचना संख्या यू–14939/2/83–ए.एन.एल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए.बी. 14017/13/2016–स्थापना (भ.नि.) का अनुसरण करते हुए एवं प्रशासन के दिनांक 05.04.2005 के अधिसूचना संख्या 64 का अधिक्रमण करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली से परामर्श पर प्राप्त दिनांक .... के पत्र सं.............................. का अनुपालन करते हुए उप–राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्राध्यापक के वर्ग 'क' पदों (राजपत्रित वर्ग 'क' गैर–लिपिकीय) की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :

i). इन नियमों को ''अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वर्ग 'क' पद) भर्ती नियमावली, 2020'' कहा जाएगा।

ii). यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तरः–

इससे जुडी पदों की संख्या, उसके वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ इत्यादिः–

इस पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ तथा अन्य मामले वही होंगे जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट किया गया है।

4. अयोग्ताएँः–कोई भी व्यक्ति उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे जिसनेः–

i). ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसका विवाहिता जीवित है, या

ii). विवाहित के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो,

परन्तु, उप–राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे विवाह उस व्यक्ति पर और उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकते हैं।

5. ढील देने की शक्तिः–

जहाँ उप–राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को ऐसा लगे कि किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में ढील देना आवश्यक या समीचीन है, तो वे संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श एवं ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करके ओदश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

6. व्यावृत्तिः–

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित कराना अपेक्षित है।

ह०/–

(एडमिरल डी. के. जोशी)

पी.वी.एस.एम.,ए.वी.एस.एम., वाई.एस.एम, एन.एम., वी.एस.एम. (अवकाश प्राप्त)

उप राज्यपाल,

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

ह०/–

सहायक सचिव(शिक्षा)

संलग्नक–I

अनुसूची

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के शिक्षा विभाग के अधीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्राध्यापक के पद के लिए भर्ती नियमावली का मसौदा

1.	पदनाम	प्राध्यापक
2.	पदों की संख्या	9 (नौ)* (2019) सेवा–पूर्व अध्यापक शिक्षा (पी.एस.टी.ई.) :– i). ह्यूमैनिटीस् (मानविकी) – 1 ii). गणित – 1 iii). विज्ञान – 1 iv). भाषा (अंग्रेजी / हिन्दी) – 2 v). शिक्षाशास्त्र (मनोविज्ञान / समाजशास्त्र / दर्शनशास्त्र) – 3 vi). शिक्षा तकनीकी / कम्प्यूटर शिक्षा – 1 * (कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय)
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'क' राजपत्रित, गैर–लिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	स्तर–10 (`56100 - 177500)
5.	चयनपद या गैर–चैयनपद	लागू नहीं होंगे
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। (केन्द्र सरकार के निर्देशों एवं आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की रियायत मिलेगी।)
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	**1. ह्यूमैनिटीस् (मानविकी)** अनिवार्यः i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय (अर्थात् भूगोल / इतिहास / राजनीतिशास्त्र / अर्थशास्त्र / समाजशास्त्र) में निष्णात की उपाधि। ii). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ शिक्षा निष्णात / कला (शिक्षा) निष्णात की उपाधि। अनुभवः– किसी प्रारंभिक विद्यालय / ई.टी.ई.आई. में अध्यापन कार्य करने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीयः शिक्षा में एम.फिल / पी.एच.डी. **2. गणित** अनिवार्यः i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम से कम 50% अंकों के साथ गणित में निष्णात की उपाधि।

ii). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ शिक्षा निष्णात/ कला (शिक्षा) निष्णात की उपाधि।

अनुभवः–
किसी प्रारंभिक विद्यालय/ई.टी.ई.आई. में अध्यापन कार्य करने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः शिक्षा में एम.फिल/पी.एच.डी.

3. विज्ञान
अनिवार्यः

i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय (अर्थात् रसायन विज्ञान/भौतिकी/वनस्पति विज्ञान/प्राणीविज्ञान) में निष्णात की उपाधि।

ii). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ शिक्षा निष्णात/ कला (शिक्षा) निष्णात की उपाधि।

अनुभवः–
किसी प्रारंभिक विद्यालय/ई.टी.ई.आई. में अध्यापन कार्य करने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः शिक्षा में एम.फिल/पी.एच.डी.

4. भाषा (अंग्रेजी)
अनिवार्यः

i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 50% अंकों के साथ भाषा (अंग्रेजी) में निष्णात की उपाधि।

ii). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ शिक्षा निष्णात/ कला (शिक्षा) निष्णात की उपाधि।

अनुभवः–
किसी प्रारंभिक विद्यालय/ई.टी.ई.आई. में अध्यापन कार्य करने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः शिक्षा में एम.फिल/पी.एच.डी.

5. भाषा (हिन्दी)
अनिवार्यः

i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 50% अंकों के साथ भाषा (हिन्दी) में निष्णात की उपाधि।

ii). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ शिक्षा निष्णात/ कला (शिक्षा) निष्णात की उपाधि।

अनुभवः–

		किसी प्रारंभिक विद्यालय/ई.टी.ई.आई. में अध्यापन कार्य करने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीयः शिक्षा में एम.फिल/पी.एच.डी. **6. शिक्षाशास्त्र (मनोविज्ञान/समाजशास्त्र/दर्शनशास्त्र)** अनिवार्यः i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 50% अंकों के साथ मनोविज्ञान/समाजशास्त्र/ दर्शनशास्त्र में निष्णात की उपाधि। ii). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ प्रारंभिक शिक्षा स्नातक/शिक्षा स्नातक/प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। अनुभवः— किसी प्रारंभिक विद्यालय/ई.टी.ई.आई. में अध्यापन कार्य करने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीयः शिक्षा में एम.फिल/पी.एच.डी. **7. शिक्षा तकनीकी/कम्प्यूटर शिक्षा** अनिवार्यः i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अनुप्रयोग/सूचना प्रौद्योगिकी में निष्णात की उपाधि। ii). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ शिक्षा निष्णात/ कला (शिक्षा) निष्णात की उपाधि। अनुभवः— किसी प्रारंभिक विद्यालय/ई.टी.ई.आई. में अध्यापन कार्य करने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीयः शिक्षा में एम.फिल/पी.एच.डी. **उपरोक्त सभी पदों के लिए नोटः—** *i). प्रत्येक व्यवसाय में परिवीक्षा को पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूरा करना एक पूर्व अपेक्षित शर्त है।* *ii). संस्थान में अनुदेशन के लिए प्रयुक्त भाषा का ज्ञान—मैखिक और लिखित भाषा (नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापन के लिए दिए जाने वाले मांगपत्र में अनुदेशन की भाषा को दर्शाएगा)।* *iii). उम्मीद्वारों जो अन्यथा सुअर्हताप्राप्त है, के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधिकार से ऐसा करने के कारणों को लिखित में अभिलेखित करके योग्यताओं में रियायत दे सकता है।* *iv). अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीद्वारों के मामले में संध लोक सेवा आयोग के विवेकाधिकार से अनुभव से संबंधित योग्यता पर रियायत दे सकता है, यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग को यह लगे कि इनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए*

		अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे।	लागू नहीं होंगे।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कुछ है तो।	2 (दो) वर्ष *प्रत्येक व्यवसाय में परिवीक्षा को पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना एक पूर्व–अपेक्षित शर्त है।*
10.	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती किए जाने की स्थिति में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति, या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	लागू नहीं होंगे।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है।	वर्ग 'क' के सीधी भर्ती के अधिकारियों के स्थायीकरण के लिए विभागीय स्थायीकरण समिति का गठन इस प्रकार से होगा :– 1. मुख्य सचिव, अ. तथा नि. प्रशासन – अध्यक्ष 2. सचिव (शिक्षा), अ. तथा नि. प्रशासन – सदस्य 3. निदेशक (शिक्षा), अ. तथा नि. प्रशासन – सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जब भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता है।	सीधी भर्ती करते समय तथा नियमावली के किसी प्रावधान में संशोधन करते/रियायत देते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अनुसूची के अनुलग्नक

प्राध्यापक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

1. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शैक्षणिक प्रबंधन करना।
2. पूरे वर्ष के लिए शैक्षणिक गतिविधियों की योजना बनाना।
3. अध्ययन पाठ्यक्रम, पाठ्यविवरण पर आधारित पाठ पर व्याख्यान देना, निदर्शन करना इत्यादि।
4. फील्ड अध्ययन और शिक्षण/अध्यापन प्रशिक्षुता का पर्यवेक्षण करना।
5. डी.एल.एड. (प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा) के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रैक्टिकल वर्क (व्यावहारिक कार्य) के लिए अनुदेशन सामाग्रियाँ तैयार करना और उसका प्रयोग करना।
6. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अध्यापन प्रशिक्षुता का मूल्यांकन करना, प्रश्नपत्र तैयार करना और मूल्यांकन करना।
7. फॉर्म एवं अन्य परीक्षाओं का अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना।
8. विश्वविद्यालय के पाठ्यविवरण/डी.एल.एड. के पाठ्यविवरण तैयार करना/मूल्यांकन करना और समीक्षा करना।
9. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विभिन्न को–करिकुलर गतिविधियों का आयोजन करना।
10. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संगोष्ठी, वाद–विवाद, एवं ग्रूप–डिस्कशन का आयोजन करना।
11. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के थियोरी एवं प्रैक्टिकल के लिए मूल्यांकन टूल्स तैयार करना।
12. प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षणार्थियों के लिए मार्गदर्शन एवं उपबोधन देना।
13. विभिन्न शैक्षिक पहलुओं पर अनुसंधान एवं नवप्रर्वतनकारी कार्यक्रम आयोजित करना।
14. शैक्षिक विस्तारण एवं स्थानन सेवाएँ।
15. विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य सरकारी कार्य।